

केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर-31 चंडीगढ़ नीलामी सूचना - 3

दिनांक : 10-08-2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-31 डी में “जहाँ जैसी स्थिति है” की स्थिति में निष्प्रयोज्य घोषित किए गए कंप्यूटर, फर्नीचर, पुस्तकालय, टीएलएम् व सीएमपी आदि के सामान की नीलामी दिनांक 23.08.2023 को सुबह 09:00 बजे से केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-31 चंडीगढ़ के परिसर में सक्षम अधिकारी द्वारा गठित कमेटी के समक्ष की जाएगी ।

नीलामी की शर्तें :

1. सभी सामान पुराना, प्रयोग किया हुआ एवं निष्प्रयोज्य है ।
2. उपरोक्त सामान की नीलामी “जहाँ जैसी स्थिति है” के आधार पर की जाएगी ।
3. इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा धरोहर जमानत राशि के रूप में 10,000/- रूपए का रेखांकित चेक/नकद प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-31 चंडीगढ़ के कार्यालय में दिनांक को नीलामी के दिन जमा करवाना होगा । कंप्यूटर संबंधी सामान व अन्य वस्तुओं के लिए धरोहर जमा अलग-2 लिया जाएगा । जमानत राशि जमा करवाए बिना कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता ।
4. कंप्यूटर की वस्तुओं के निपटान के लिए इच्छुक recyclers/dismantlers/Pre-processor of e-waste अपने पंजीकरण सम्बन्धी दस्तावेज जमा करवा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं ।
5. उपरोक्त सामान को केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-31 डी चंडीगढ़ के परिसर में श्री वि के वर्मा या श्री राजीव कुमार से संपर्क करके दिनांक 21.08.2023 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक देखा जा सकता है ।
6. नीलामी के संबंध में सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा तथा उसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा ।
7. उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म को अपनी उच्चतम बोली धनराशि तुरंत बोली स्थल पर ही नगद प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-31 चंडीगढ़ को जमा करवानी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि राजहित में जब्त कर ली जाएगी ।
8. नीलामी स्वीकृति के उपरांत उच्चतम बोली को छोड़कर शेष अन्य बोलीदाताओं/फर्मों की धरोहर राशि नीलामी के पश्चात तुरंत वापस कर दी जाएगी ।
9. निर्धारित मूल्य से कम बोली नीलामी समिति को मान्य नहीं होगी ।
10. उच्चतम बोलीदाता को पूर्णराशि जमा करवाने के बाद ही सामन ले जाने का अधिकार होगा और दो दिनों के अन्दर सभी सामान बोलीदाता को उठाना अनिवार्य होगा ।
11. केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारी व उनके रिश्तेदार संबंधी बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे ।
12. केवल वास्तविक क्रेता को ही विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी ।
13. कोविड - 19 को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक भीड़ मान्य नहीं है | अतः सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है | उपरोक्त सभी शर्तों के पालन के लिए बोलीदाता व्यक्ति/फर्म बाध्य होंगे ।

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
सैक्टर-31 चंडीगढ़

KENDRIYA VIDYALAYA SECTOR 31 CHANDIGARH

AUCTION NOTICE - III

Date : 10/08/2023

This is for the information of General Public that the condemned articles of different department like Computer, Furniture, Library, TLM under CMP Etc. of Kendriya Vidyalaya Sector 31 Chandigarh is to be disposed off through a public auction on 23.08.2023 at 09.00 AM onwards in Vidyalaya premises. The auction will take place under monitoring of committee made for this.

Terms and conditions:

1. All the item are used, old and under BER category.
2. The bidding will be done as for item “**as is and where is basis**”.
3. The bidder must deposit Rs. 10000/-(refundable) by crossed cheque/cash in the favour of Principal KV Sector 31 Chandigarh before participating in the bidding process. Deposit of Rs. 10000/- have to be made separately for computer goods.
4. For Computer related goods registered recyclers/dismantlers/Pre-processor of e-waste with MOEF/ Central pollution control board, Govt. of India or with the state pollution Control Board or State Govt. dealing with e-waste persons/parties/firms can participate in auction only.
5. The condition of condemned items can be inspected on 21.08.2023 in between 11.00 AM to 02.00 PM by contacting with *Mr. VK Verma, WET or Mr. Rajeev Kumar, PRT.*
6. The bidder shall abide by the rules to be declared at the time of auctions.
7. Reserve price will be revealed only at the time of auction.
8. The highest bidder/purchaser will have to deposit bid amount at spot and he have to remove the condemned material within two days after depositing the full amount, at their own cost.
9. If the successful bidder fails to pay the sale price, the items shall be sold to the next higher bidder.
10. The refundable deposit for all unsuccessful bidder will be given back after completion of the bidding process.
11. KVS employees and their relatives are not allowed to participate in the auction.
12. The undersigned reserves the rights to cancel the auction without assigning any reason.
13. All bidder and their representative will follow the Covid-19 Guidelines.

**PRINCIPAL
KV Sec. 31, Chd.**